न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी** आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बैंक ऑफ इंडिया एक निगमित निकाय जिसका प्रधान कार्यालय स्टार हाउस,सी 5 जी ब्लॉक बांद्राकुर्ला कॉम्पलैक्स बांद्रा पूर्व मुबंई 400051 में स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय जालोर राजस्थान में भी स्थित व कार्यरत है।		1.मैसर्स पंतजलि चिकित्सालय ग्राम दिगॉव तहसील व जिला जालोर 2.श्रीमती अनिता देवी पत्नि श्री रतनलाल भाटी (कानूनी वारिश,ऋणी/बंधककर्ता स्व.ओमकार लाल जोशी)ग्राम बागरा तहसील व जिला जालोर 3.श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि श्री कन्हैयालाल ब्राहमण (कानूनी वारिश,ऋणी/बंधककर्ता स्व.ओमकार लाल जोशी)ग्राम रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही 4.श्रीमती चंचल देवी पत्नि श्री गोविन्द जी ब्राहमण (कानूनी वारिश,ऋणी/बंधककर्ता स्व.ओमकार लाल जोशी)ग्राम बागरा तहसील व जिला जालोर 5.श्रीमती पूनम देवी पत्नि श्री ललित भाटी (कानूनी वारिश,ऋणी/बंधककर्ता स्व.ओमकार लाल जोशी)ग्राम पंथेरी तहसील सायला जिला जालोर 6.श्री देवीलाल जोशी पुत्र स्व. ओमकार लाल जोशी (जमानती/कानूनी वारिश स्व.ओमकार लाल जोशी)ग्राम दिगॉव तहसील व जिला जालोर

विविध प्रकरण संख्या 17/2019

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

अधिवक्ता:-श्री चन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:-31.7.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक की ओर से प्रार्थना-पत्र में लिखा गया कि "बैंक ऑफ इण्डिया" स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (पूर्व)मुम्बई 400051 में स्थित व कार्यरत है। जिसका एक शाखा कार्यालय जालोर में भी स्थित व कार्यरत है। जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। वादी बैंक का एक शाखा कार्यालय जालोर, के प्राधिकृत अधिकारी श्री के.एन.वर्मा है । वह रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से भी परिचित है । वह उनको प्रार्थी बैंक ऑफ इण्डिया कार्यालय की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हे प्रार्थनापत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मैसर्स पंतजलि चिकित्सालय प्रोपराइटर स्व. ओमकार लाल जोशी ने वित्तीय संस्था से दिनांक 06.02.2014 को ऋण 10,00,000/- का ऋण लिया था। स्व. ओमकार लाल जोशी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित मकान को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण नीचे वर्णित है। बंधक सम्पत्ति का विवरण :-श्री देवीलाल जोशी, श्रीमती अनिता देवी, श्रीमती इन्द्रा देवी, श्रीमती चंचलदेवी, श्रीमती पूनम देवी (समस्त

कानूनी वारीशान स्व.ओमकार लाल जोशी) की आवासीय सम्पति जो पट्टा नबंर 42 ग्राम दिगांव तहसील व जिला जालोर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। चतु:-सीमाऐ पूर्व:-मांगीलाल का मकान, पश्चिम:-जगसीराम का मकान, उत्तर :-बिरमा का मकान, दक्षिण:-आम रास्ता।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 30.06.2017 अप्रार्थी के खाते को एन.पी.ए घोषित कर दिया है। अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया रूपये 4,44,630.78/-(अक्षरे रूपये चार लाख चवालीस हजार छ: सौ तीस रूपये व अठहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 28.02.2019 तक व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैक ऑफ इण्डिया ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत दिनांक 28.02.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी अप्रार्थी द्वारा पुन: देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैक ऑफ इण्डिया को नहीं दिया। अप्रार्थी ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के बाद भी प्रार्थी बैक ऑफ इण्डिया को नहीं किया। जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैक ऑफ इण्डिया उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहन शुदा संपति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त देय शेष राशि को वसुल करने का अधिकारी है। उक्त अनुसूची-1 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पति को ताले लगे होने की स्थिति पर सम्पति पर लगे तालो को तोडा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाए जाने की प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

दिनाँक 16 अगस्त 2016 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग पप खण्ड-1 संख्या 51 के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एंव पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में संशोधन किये गये है।उक्त संशोधित अधिनियम कि धारा 12 जो निम्न प्रकार से है-

Sec. 12- in the principal act in section 14 in sub section (1)
(i) In the second proviso, after the words secured assets, the words within a period of thirty days from the date of application shall be inserted.
(ii)After the second proviso, the following proviso shall be inserted namely-provided further that if no order is passed by the chief metropolitan magistrate or District magistrate within the period of thirty days for reasons beyond his control he may after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.

इस संशोधन कें पश्चात इस प्रार्थाना पत्र पर अविलम्ब कार्यवाही की अपेक्षा है। अत: उपरोक्त वर्णित सम्पति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की अनुसूची-1 में दिया गया है। उक्त सम्पति का कब्जा अप्रार्थी सें प्राप्त कर प्रार्थी बैक ऑफ इण्डिया को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे ।

पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैक से 10,00,000/-रूपये (दस लाख मात्र)का ऋण/सुविधा स्वीकृत किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के तहत् 28.02.2019 को समस्त प्रतिवादी को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में 4,44,630.78/-(अक्षरो चार लाख चवालीस हजार छ:सौ तीस रूपये व अठहत्तर पैसे मात्र) जिसमें दिनांक 28.02.2019 तक का ब्याज सम्मिलित है। प्रतिवादियो ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बावजुद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है।

वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:-(1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा

प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा। (2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतित होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व की संपति के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 18:57:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: